

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

संख्या- — /XXXVI(1)/2018-30 रिट/2018

देहरादून: दिनांक: 01 मई, 2018


अधिसूचना

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों के वेतन ढाँचे से सम्बन्धित उचित संस्तुतियां देने के लिए द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग गठित किया गया था, जिसे वेतन सहित पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों सहित न्यायिक प्रशासन में दक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से कार्य की रीति और कार्य के वातावरण को तैयार करने के लिए संस्तुतियां देना था;

और चूँकि दिनांक 09.03.2018 को मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष उक्त न्यायिक वेतन आयोग द्वारा एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है;

और चूँकि रिट याचिका (सिविल) सं0-643/2015 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2018 द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा यथा संस्तुत अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के लिए अन्तरिम राहत (वेतन) के क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिये हैं, जो कि निम्नवत हैं:-

1. अन्तरिम राहत सभी स्तर/श्रेणी के न्यायिक अधिकारियों को वेतन वृद्धि के साथ मूल वेतन में 30% की सीमा तक बढ़ाकर दी जायेगी।
2. वेतन में द्वितीय वेतन वृद्धि पृथक से घटक के रूप में माना जायेगा और इस पर महंगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
3. उक्त आधार पर दिनांक 01.01.2016 से अवशेष वेतन का भुगतान संलग्नक-1 के अनुसार किया जायेगा।
4. उसी आधार पर अन्तरिम राहत सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य होगा तथा तदनुसार अवशेष का भुगतान किया जायेगा।
5. आयोग द्वारा यथासंस्तुत न्यायिक अधिकारियों के वेतन के सम्बन्ध में अन्तरिम राहत दिनांक 01.05.2018 से क्रियान्वित की जायेगी। उक्त सन्दर्भ के अनुसरण में अवशेष का भुगतान दिनांक 30.06.2018 तक या उससे पूर्व किया जायेगा।
6. प्रस्तावित अन्तरिम राहत का समायोजन आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अन्तिम रिपोर्ट के अनुसरण में भविष्य में निर्धारित होने वाले वेतन से समायोजित की जायेगी।
7. अतएव श्री राज्यपाल उक्तवत कार्यवाही सम्पादित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।



क्रमशः.....2

(2)

यह अन्तरिम राहत (वेतन) उन नियमित न्यायिक अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी, जो जिला न्यायालयों में तैनात नहीं हैं, अपितु अन्य विभागों/प्रतिनियुक्ति/कुटुम्ब न्यायालयों/अधिकरणों/प्राधिकरणों/न्यायाधिकरणों इत्यादि में समकक्ष पद पर तैनात हैं।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-311/XXVII(7)/2018 दिनांक 01.05.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से


(मीना तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या- 148 (1)/XXXVI(1)/2018-30 रिट/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके पत्र सं०-1466/III/X/2017-18/UHC/Accounts Section दिनांक 09.04.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रमारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड शासन।
7. अध्यक्ष, सहकारिता अधिकरण, देहरादून।
8. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, देहरादून।
10. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल।
11. निबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा अधिकरण, देहरादून।
12. समस्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
15. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
16. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
18. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
19. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
20. संयुक्त निदेशक, राजकीय प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।
21. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
22. गार्ड फाईल/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,


(सयन सिंह)
अपर सचिव

न्यायिक वेतनमान-अन्तरिम राहत

संलग्नक-1
पृष्ठ-2

सिविल जज (सी०डि०) एन्ट्री लेबल :
वेतनमान 39530-54010

क्र०सं०	वेतन	वेतन+ अन्तरिम राहत @30%	अन्तर
1	39530	51389	11859
2	40450	52585	12135
3	41530	53989	12459
4	42610	55393	12783
5	43690	56797	13107
6	44770	58201	13431
7	45850	59605	13755
8	46930	61009	14079
9	48010	62413	14403
10	49090	63817	14727
11	50320	65416	15096
12	51550	67015	15465
13	52780	68614	15834
14	54010	70213	16203

सिविल जज (सी०डि०)
(ए०सी०पी०-1)
वेतनमान 43690-56470

वेतन	वेतन+ अन्तरिम राहत @30%	अन्तर
43690	56797	13107
44770	58201	13431
45850	59605	13755
46930	61009	14079
48010	62413	14403
49090	63817	14727
50320	65416	15096
51550	67015	15465
52780	68614	15834
54010	70213	16203
55240	71812	16572
56470	73411	16941

सिविल जज (सी०डि०)
(ए०सी०पी०-2)
वेतनमान 51550-63070

वेतन	वेतन+ अन्तरिम राहत @30%	अन्तर
51550	67015	15465
52780	68614	15834
54010	70213	16203
55240	71812	16572
56470	73411	16941
57700	75010	17310
58930	76609	17679
60310	78403	18093
61690	80197	18507
63070	81991	18921

जिला जज (एन्ट्री लेबल)
वेतनमान 51550-63070

क्र०सं०	वेतन	वेतन+ अन्तरिम राहत @30%	अन्तर
1	51550	67015	15465
2	52780	68614	15834
3	54010	70213	16203
4	55240	71812	16572
5	56470	73411	16941
6	57700	75010	17310
7	58930	76609	17679
8	60310	78403	18093
9	61690	80197	18507
10	63070	81991	18921

जिला जज (सलेक्शन ग्रेड)
वेतनमान 57700-70290

वेतन	वेतन+ अन्तरिम राहत @30%	अन्तर
57700	75010	17310
58930	76609	17679
60310	78403	18093
61690	80197	18507
63070	81991	18921
64450	83785	19335
65830	85579	19749
67210	87373	20163
68750	89375	20625
70290	91377	21087

जिला जज (सुपर टाईम स्केल)
वेतनमान 70290-76450

वेतन	वेतन+ अन्तरिम राहत @30%	अन्तर
70290	91377	21087
71830	93379	21549
73370	95381	22011
74910	97383	22473
76450	99385	22935

11/1/2016

(सितीश कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा संस्तुत अन्तरिम राहत (वेतन)

संलग्नक-1

पृष्ठ-1

सिविल जज (जू0डि0) एन्ट्री लेबल :
वेतनमान 27700-44770


सिविल जज (जू0डि0)
(ए0सी0पी0-1)
वेतनमान 33090-45480

सिविल जज (जू0डि0)
(ए0सी0पी0-2)
वेतनमान 39530-54010

क्र0सं0	वेतन	वेतन+ अन्तरिम राहत @30%	अन्तर
1	27700	36010	8310
2	28470	37011	8541
3	29240	38012	8772
4	30010	39013	9003
5	30780	40014	9234
6	31550	41015	9465
7	32320	42016	9696
8	33090	43017	9927
9	34010	44213	10203
10	34930	45409	10479
11	35850	46605	10755
12	36770	47801	11031
13	37690	48997	11307
14	38610	50193	11583
15	39530	51389	11859
16	40450	52585	12135
17	41530	53989	12459
18	42610	55393	12783
19	43690	56797	13107
20	44770	58201	13431

वेतन	वेतन+ अन्तरिम राहत @30%	अन्तर
33090	43017	9927
34010	44213	10203
34930	45409	10479
35850	46605	10755
36770	47801	11031
37690	48997	11307
38610	50193	11583
39530	51389	11859
40450	52585	12135
41530	53989	12459
42610	55393	12783
43690	56797	13107
44770	58201	13431
45850	59605	13755

वेतन	वेतन+ अन्तरिम राहत @30%	अन्तर
39530	51389	11859
40450	52585	12135
41530	53989	12459
42610	55393	12783
43690	56797	13107
44770	58201	13431
45850	59605	13755
46930	61009	14079
48010	62413	14403
49090	63817	14727
50320	65416	15096
51550	67015	15465
52780	68614	15834
54010	70213	16203


(रीतेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव